रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277703
CG-DL-E-05112026-277703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5802] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5802] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

का.आ. 6034(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए बीएचईएल-भोपाल, मध्य प्रदेश से एचवीडीसी नागपुर टर्मिनल, नागपुर, महाराष्ट्र तक मल्टी हाइड्रोलिक सस्पेंशन एक्सल पर एक एचवी (800 केवी श्रेणी) ट्रांसफार्मर को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स अलाइन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. उपरोक्त एक एचवी (800 केवी श्रेणी) ट्रांसफार्मर के परिवहन के लिए मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का परिवहनकर्ता (ट्रांसपोर्टर) है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	**प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या**	**मेक**
1	एनएल-01-एएफ-3167	वॉल्वो
2	एनएल-01-एएफ-3106	वॉल्वो
3	एनएल-01-एजी-8722	वॉल्वो
4	एनएल-01-एएफ-3104	वॉल्वो
5	एचआर-55-एएम-6363	वॉल्वो
6	एनएल-01-एएफ-3102	वॉल्वो

3. निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग उपरोक्त परिवहन में किया जाएगा:-

क्र. सं.	**ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या**	**मेक**	**ट्रेलरों में धुरियों की संख्या**	**ट्रेलर्स की आरसी में स्वीकृत/उल्लिखित सकल वाहन भार (टन में)**
1.	एचआर-55-बीए7587	टी।। (यूएचडी)	4	72
2.	एचआर-55-बीए-1787	टी।। (यूएचडी)	4	72
3.	एचआर-55-बीए-6894	टी।। (यूएचडी)	4	72
4.	एचआर-55-बीए-8336	टी।। (यूएचडी)	6	108
5.	एचआर-55-बीए-1500	टी।। (यूएचडी)	6	108
6.	एचआर-55-बीबी-9048	टी।। (एमडी)	6	108
7.	एचआर-55-बीबी-6827	टी।। (एमडी)	6	108
8.	एचआर-38-एएल-0918	टी।। (एमडी)	6	108
9.	एचआर-38-एएल-9150	टी।। (एमडी)	4	72
10.	एचआर-38-एएल-2616	टी।। (एमडी)	2	36

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

सं.	**मात्रा**	**माल का नाम**	**बिना भार वाली धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में**	**माल का भार मीट्रिक टन (एमटी)**	**वाहन का लदान भार (एमटी)**	**प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)**	**वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)**	**माल का समग्र आयाम (मीटर में)**			**लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण**
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i.	1	एचवी (800 केवी श्रेणी) ट्रांसफार्मर	88 एमटी	330 एमटी	418 एमटी	18.5	5.923	12.560	4.260	4.723	22 धुरी सीधी रेखा में

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है कि:-

i. इन अति आयामी माल के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग निम्नानुसार होगा:

भेल-भोपाल- ब्यावरा- गुना- शिवपुरी- झांसी- बबीना- ललितपुर- मालथोन- सागर- नरसिंहपुर- लखदोन- सिवनी- नागपुर- समुंदरपुर

ii. लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी एगी।

iii. ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

iv. ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, खंभें, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स अलाइन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा वहन की जाएगी।

v. बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ट्रांसपोर्टर कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा और परिवहन शुरू करने से पहले संबंधित राज्य प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi. यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

vii. ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों के परिवहन के कारण होता है।

viii. सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त परिवहन के लिए होगी।

ix. उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

x. यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

xi. सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

xii. ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

xiii. ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में सड़क कर का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

xiv. ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा और नागालैंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं।

xv. किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

xvi. माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

xvii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

xviii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी/एफओबी/ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी/ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के लिए डायवर्जन करेगा।

xix. ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/02/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

S.O. 6034(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one HV (800 KV Class) Transformer on Multi hydraulic suspension axles from BHEL- Bhopal, Madhya Pradesh to HVDC Nagpur Terminal, Nagpur, Maharashtra by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s. Align Global Logistics Pvt. Ltd. is the transporter of M/s Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal for transportation of one HV (800 KV Class) Transformer for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	**Registration No. of Prime Movers**	**Make**
1	NL-01-AF-3167	Volvo
2	NL-01-AF-3106	Volvo
3	NL-01-AG-8722	Volvo

4	NL-01-AF-3104	Volvo
5	HR-55-AM-6363	Volvo
6	NL-01-AF-3102	Volvo

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S.N.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	GVW sanctioned/ Mentioned in RC of Trailers (in Ton)
1.	HR-55-BA7587	TII(UHD)	4	72
2.	HR-55-BA-1787	TII(UHD)	4	72
3.	HR-55-BA-6894	TII(UHD)	4	72
4.	HR-55-BA-8336	TII(UHD)	6	108
5.	HR-55-BA-1500	TII(UHD)	6	108
6.	HR-55-BB-9048	TII(MD)	6	108
7.	HR-55-BB-6827	TII(MD)	6	108
8.	HR-38-AL-0918	TII(MD)	6	108
9.	HR-38-AL-9150	TII(MD)	4	72
10.	HR-38-AL-2616	TII(MD)	2	36

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i.	1	HV (800 KV Class) Transformer	88 MT	330 MT	418 MT	18.5	5.923	12.560	4.260	4.723	22 Axle in Straight Line

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific route for transportation of the these over dimensional consignments will be :

BHEL-Bhopal- BIAORA- GUNA- SHIVPURI- JHANSI- BABINA- LALITPUR- MALTHONE- SAGAR- NARSINGHPUR- LAKHADON- SEONI- NAGPUR- SAMUNDARPUR

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line

shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Align Global Logistics Pvt. Ltd.

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state/UT of Haryana and Nagaland.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.

xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs,RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODC/OWC.

xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B) PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/02/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.11.05 21:39:15 +05'30'